फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जमवारामगढ़,

जयपुर

सुमन शर्मा बनाम छोटू व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 22 /2022

08–02–2022 प्रार्थीया की ओर से एडवोकेट श्री हिम्मत सिह राघव ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्रार्थीया के अधिवकता को एकपक्षीय सुना गया।

प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीया का प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पालेडा पटवार हल्का लांगडियावास तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नं. 117 रकबा 0.6575 हैक्टेयर, खसरा नं. 95 रकबा 0.2529 हैक्टेयर व खसरा नं. 120 रकबा 1. 3151 हैक्टेयर, खसरा नं. 208 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खसरा नं. 86/5 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5048 हैक्टेयर व खसरा नं. 60 रकबा 6. 4869 हैक्टेयर में प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करें, प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, बेचान हस्तांतरण नहीं करें, किसी प्रकार से मिटटी खुदाई नहीं करवायें, राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट से करवाये उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। पत्रावली दिनांक 07/03/2022 को पेश हो।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

07/03/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायालय कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/05/22 पेश हो। [illegible]

सुजान बनाम छोटू वगै०
मु० नं० 22/2022

29/4/22 [illegible] पेश हुई P. O. [illegible]
अवकाश पर होने के [illegible]
[illegible] पेश की गई। पूर्वानुसार पत्रावली
[illegible] 23/6/22 को पेश हो।

23/6/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
[illegible] का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/8/22 पेश हुई।

04/08/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
हड़ताल/कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/9/22 पेश हुई।

15/9/22 पत्रावली पेश हुई। P.O. के अवकाश पर होने से
पत्रावली पूर्वानुसार ~~वास्ते तलबी/जवाब~~
29/11/22 को पेश हो।

29/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अथवा वकील वादी व वादी को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कौमल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयारामगढ़